तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.नेहरो की ढाणी में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस प्राप्त हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। उतरदाता सख्या 2 से 6 की ओर से इकबाली जबाव पूर्व में पेश किया गया था। जो पत्रावली सलंग्न है। अपीलाण्ट की ओर से बायानात में सरपंच नेहरों की ढाणी श्री मंगलाराम एवं स्वतंत्र गवाह श्री लालाराम द्वारा बयान दिये गये। जो कलमबद्व कर शामिल मिसल किये गये। उतरदाता संख्या 8 तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपील के विरूद्व जबाव पेश कर अपील को सारहीन बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया गया।
	हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं विवादित नामान्तकरण संख्या 22 का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अपील में यह इस्तदुआ चाही गई,कि मूल ग्राम गोदारो की बेरी वर्तमान राजस्व ग्राम गोदारो की बेरी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 87,165, कुल रकबा 72–04 बीधा एवं ग्राम आसुओं की ढाणी की खसरा संख्या 69 रकबा 135–15 बीधा खातेदारी भूमि उसके पिता जेहा की आई हुई थी। उसके पिता जेहा के फोत होने पर भरे गये वारिसान नामान्तकरण संख्या 22 में उसके भाईयो के साथ उसका वास्तविक नाम केसाराम चौधरी के स्थान पर केहनाराम गलत नाम दायर किया गया। जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड मे उक्त गलत प्रविष्टि चली आ रही है। अतःअपीलाण्ट का गलत नाम केहनाराम के स्थान पर सही नाम केसाराम चौधरी दायर करवानें हेतु अपील पेश की गई।
	उतरदाता संख्या 8 तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी समग्र जांच रिर्पोट में उल्लेखित किया गया कि विवादित नामान्तकरण संख्या 22 जेहा पुत्र प्रेमा के फोत होने पर उसक वारिश गुमनाराम,गंगाराम,केसाराम,नरेन्द्रकुमार केहनाराम पिसरान जेहा कोहली पत्नि जेहा दर्ज हुआ। अपीलाण्ट ने अपना नाम केसाराम चौधरी बताया है,उतरदाता संख्या 4 का नाम भी केसाराम अपील में बताया गया है। स्व.जेहाराम के वारिस अपीलाण्ट केसाराम चौधरी व उतरदाता संख्या 4 केसाराम दोनों एक समान नाम है। चौधरी सरनेम के रूप में लगया जाता है। दोनों वारिस एक ही नाम का होना अव्यवहारिक है। अपीलाण्ट के केसाराम चौधरी प्रमाण के रूप में परिचय पत्र,अंक तालिका दस्तावेज अपील में सलंग्न है।उतरदाता संख्या 4 का नाम भी

लालाराम M

केसाराम होने का कोई प्रमाण नहीं हैं। एक ही व्यक्ति के समान नाम के दो वारिस होना प्रायःसंदिग्ध है। जो अपील खारिज योग्य है। एवं वकील अपीलाण्ट यह भी साबित नहीं कर पाये कि 22 वर्षो के लम्बे समय व्यतीत होने के बाद अपील प्रस्तुत करने के क्या कारण रहें। मजमें आम में भी पुछताछ करने पर अपीलाण्ट के नाम के संबध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है,कि अपीलाण्ट की अपील चलने योग्य नहीं है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 14-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

Scanned by CamScanner